रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72. REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1977/माघ 19, 1898

No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1977/MAGHA 19, 1898

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

New Delhi, the 8th February 1977

G.S.R 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, in sub-paragraph (2), after the Explanation the following clause shall be inserted namely —

"(d) Where the specified goods are cleared by or on behalf of a manufacturer from more than one factory and the Collector of Central Excise is satisfied on a representation by or on behalf of such manufacturer that because of power cut, natural calamities such as floods and fires or orders of Government requiring curtailment of production, such manufacturer is not in a position in any year to raise production in one of his factories beyond the base clearances in respect of such factory, then in relation to such manufacturer the clearances from such factory shall not be taken into account and shall be excluded both for the purpose of calculating base clearances and clearances in excess of the base clearances in such year"

[No 20/77]

LAJJA RAM, Dy Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1977

सां०का०नि० 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 जून, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के उप-पैरा (2) में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) जहां किसी एक विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक से अधिक कारखाने में से विनिर्दिष्ट मालों की निकासी की जाती है और ऐसे विनिर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से अभ्यावेदन किए जाने पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि बिजली में कमी करने, प्राकृतिक बाधाओं, जैसे बाढ़ और आग, या सरकार द्वारा उत्पादन में कटौती करने की अपेक्षा के आदेशों के कारण ऐसा विनिर्माता ऐसे कारखाने की बाबत आधारी निकासियों से और आगे अपने कारखानों में से किसी एक वर्ष विशेष में उत्पादन को और आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं था तो, ऐसे विनिर्माता की बाबत ऐसे कारखाने से निकासियों को गणना में नहीं लिया जाएगा तथा ऐसे वर्ष में आधारी निकासियों को गणना करने और आधारी निकासियों से और अधिक निकासियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए उन्हें अपवर्जित कर दिया जाएगा।

[सं० 20/77]

लज्जा राम, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977